संख्या : 319 /IV(1)/2009-80(कुम्भ)/2009

प्रेषक,

अनूप वधावन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मेलाधिकारी,
हरिद्वार।

शहरी विकास अनुभाग-1 देहरादून : दिनांक 10 जून, 2009

विषयः आगामी कुम्भ मेला, 2010 के अन्तर्गत शील क्षेत्र में नीचे की ओर क्यूनेट का निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय, वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1316/कु.मे./सि0वि0 दिनांक 26.02.2009 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, सिंचाई खण्ड, हरिद्वार द्वारा उक्त कार्य हेतु प्रस्तुत आगणन रु. 29.14 लाख के तकनीकी परीक्षणोपरान्त संस्तुत रु. 27.31 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति देते हुए, वित्तीय वर्ष 2009-10 में रु. 27.31 लाख (रु. सत्ताई लाख इकतीस हजार मात्र) की धनराशि को व्यय किए जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

1. उक्त कार्य की इसी धनराशि से पूर्ण किया जायेगा एवं आगणन का पुनरीक्षण किसी दशा में नहीं किया जायेगा।
2. उक्त स्वीकृत धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त उपयोगिता प्रमाणपत्र उपलब्ध कराए जाने पर ही दूसरी एवं अन्तिम किश्त की धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दो बराबर किश्तों में आहरण किया जाएगा और पूर्व आहरित धनराशि के पूर्ण उपयोग के बाद ही दूसरी किश्त का कोषागार से आहरण किया जाएगा।
4. योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों का निकटता से पर्यवेक्षण किया जाए। इसके लिए यथा आवश्यकता, निगरानी समिति का गठन कर लिया जाय।
5. कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
6. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए जितनी राशि स्वीकृत की गई है।
7. एकमुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व, विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाए।
8. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्ति करें।
9. निर्माण सामग्री क्रय करने से पूर्व मानकों एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के प्राविधानों का पालन कड़ाई से किया जाय।
10. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री का ही प्रयोग में लाया जाए।
11. कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता से कार्यस्थल का भली भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिए गये निर्देशों के अनुसार कार्य कराया जाए।
12. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व शासनादेश संख्या 475 /XXXVII (7)/2008 दिनांक 15 दिसम्बर, 2008 की व्यवस्थानुसार निर्धारित प्रारूप पर अनुबन्ध निष्पादन की कार्यवाही सुनिश्चित कर ली जाएगी।
13. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.3.2010 तक उपयोग करके कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति की विवरण तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जाएगा।
14. कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदित कराना आवश्यक होगा।

15. यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि उक्त पूर्ण कार्य या इसके कोई भाग के विषय में यदि कोई धनराशि अन्य विभागीय बजट से स्वीकृत की गई हो तो उसे इस योजना के प्रति बुक करके उस धनराशि को शासन को समर्पित कर दिया जाएगा।

16. मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV –219/ 2006 दिनांक 30मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन किया जाए।

17. उक्त धनराशि का आहरण मेलाधिकारी, हरिद्वार के आहरण वितरण कोड से किया जाएगा।

2– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 में शासनादेश संख्या 421/IV(1)/2009–39(सा.)/2006–टी.सी. दिनांक 31.03.2009 तथा शासनादेश संख्या 453 दिनांक 31.03.2009 के द्वारा मेलाधिकारी, हरिद्वार के निवर्तन पर रखी गयी धनराशि रु. 33.1533 करोड से वहन किया जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशा.सं.: 1460/XXVII(2)/2009 दिनांक 08 जून, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अनूप वधावन)
सचिव।

संख्या : 379 (1)/IV(1)/2009 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा. शहरी विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. महालेखाकार (ऑडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौड़ी।
6. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार।
8. वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी.ओ. में इसे शामिल करें।
10. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, हरिद्वार को आगणन की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित।
11. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र)
अनु सचिव।